निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या :263/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दामोदर बनाम महादेव जाति पूर्बिया निवासी ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, हाल निवासी प्लाट नम्बर 296 ए, तारानगर, झोटवाडा, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र महादेव जाति पूर्बिया निवासी ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल निवासी प्लाट नम्बर 121 जगन्नाथपुरी प्रथम, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
2. सोनम कंवर पुत्री दामोदर पत्नी विजय सिंह जाति पूर्बिया निवासी ग्राम जटवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम भाण्डारेज, तहसील व जिला दौसा
3. सहायक कलक्टर, बस्सी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2019 (157/2022) ब उनवानी बृजमोहन बनाम दामोदर व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 10.01.2023**

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 01/2019 (157/2022) ब उनवानी बृजमोहन बनाम दामोदर व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सहाय शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 को कई बार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाकर कई घन्टो तक उक्त प्रकरण पर चर्चा करते हुये देखा तथा प्रार्थी को सदोष हानि पहुंचाने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष स्वीकार करवाया गया जो कानूनी रूप से गलत है, इससे भी यह साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 2 को सदोष लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। प्रार्थी जब भी कोर्ट में जाता है तो पता चलता है कि अप्रार्थी संख्या 2 हर वक्त पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठी रहती है तथा बाहर आकर प्रार्थी को धमकी देती है कि देख ले हम अधिकारी के साथ किस प्रकार से मिले हुये है, किस प्रकार आपस में बात करते हैं। तेरे मुकदमें को हम खारिज करवाकर रहेंगे। प्रार्थी कोर्ट में हाजिर होता है, तो देखता है कि अप्रार्थी संख्या 2 हर वक्त कोर्ट के रीडर से उक्त पत्रावली के संबंध मे बात करती रहती है और कहती है कि उक्त पत्रावली को किसी रूप से खारिज करवाना है। इससे प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण उक्त पत्रावली को अन्यत्र ट्रान्सफर करना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने सहायक कलक्टर बस्सी प्रार्थी के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। बस्सी मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी बस्सी का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

8. सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2019 (157/2022) व उनवानी बृजमोहन बनाम दामोदर व अन्य को न्यायालय पर उपखण्ड अधिकारी बस्सी को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 23.01.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी में उपस्थित हो।

जिला कलक्टर
जयपुर

9. उपखण्ड अधिकारी बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी एवं सहायक कलेक्टर बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को बरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर